

06/12/24

31/10/24

05/02/2024 पत्रावली पेश हुई। वकुलम पत्राकरण वकुलम पत्राकरण की वकालत सुनी गई। पत्रावली का कार्य अक्टूबर दिनांक 05/10/24 को पेश हो है

06/02/2024 पत्रावली पेश हुई। राजपत्राकरण के कार्य अक्टूबर दिनांक 06/10/24 को पेश हो है

06/2024 आज श्रीमान् ए.डी.एम./एस.डी.एम. साहब की जाकर पत्रावली पेशी इल्लहा की जाकर पत्रावली नारीख 07/10/24 को पेश हो है

31/7/24 आज श्रीमान् ए.डी.एम./एस.डी.एम. साहब की जाकर पत्रावली पेशी इल्लहा की जाकर पत्रावली नारीख 07/10/24 को पेश हो है

10/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलम पत्राकरण उपर/वकुलम पत्राकरण वकालत सुनी गई। पत्रावली का कार्य अक्टूबर दिनांक 05/10/24 को पेश हो है

05/11/2024 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष वकील उपस्थित। वकील वकील वकालत सुनी गयी। उभय पक्ष वकालत एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अस्थायी निषेधकारिता के तिनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय शक्ति प्रथम के पक्ष में सिद्ध होते हैं। अतः वकील का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 13/08/2023 को जारी अस्थायी निषेधकारिता को मूल वाद के निस्ताण तक कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली फैसल सुनार होकर रजि नम्बर से कम होकर बाद तकमील राखिल इफतर ही निर्णय आज दिनांक 05/11/2024 को मेरे द्वारा लिखा जाकर मेरे-इजलास सुनाया गया।

सहायक क्लर्क  
बाप (फलोदी)